# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर जिला जोधपुर
## पीठासीन अधिकारी–श्री नेमा राम आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 94/2023
जीसीएमएस संख्या–2023/156

| प्रार्थीगण | बनाम | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| 1. कानाराम पुत्र कालूराम जाति जाट निवासी सिलारी तहसील पीपाड़शहर जिला जोधपुर। | | 1. कुनाराम पुत्र कालूराम जाति जाट निवासी सिलारी पीपाडशहर<br>2. दरियादेवी पत्नि जोराराम जाति राईका निवासी तिलवासनी<br>3. नवीन सिरोही पुत्र बुद्धाराम जाति जाट निवासी चिरढाणी<br>4. सुखड़ी पत्नि पुनाराम जाति जाट निवासी सिलारी तहसील पीपाड़शहर जिला जोधपुर।<br>5. तहसीलदार, तहसील कार्यालय पीपाड़शहर जिला जोधपुर। |

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता

1. श्री बख्तावरसिंह जाखड़ प्रार्थीगण ओर से ।
2. श्री ओमप्रकाश कच्छावाह अप्रार्थी संख्या 01 से 04 की ओर से।

निर्णय दिनांकः– 27/04/2026

प्रार्थी की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम सिलारी की राजस्व सीमा में प्रार्थी की खातेदारी कब्जासुद जमीन खसरा नम्बर 474 रकबा 0.4207 हेक्टयर किस्म बारानी प्रथम आयी हुई है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 तक मय नक्शा के संलग्न पेश की। प्रार्थी की खातेदारी कब्जासूद जमीन के उत्तर तरफ व पश्चिम तरफ ग०सु०कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 395 है तथा पुरब तरफ गै.मु. कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 475 आया हुआ है तथा प्रार्थी की वादग्रस्त आराजी के दक्षिण तरफ अप्रार्थी संख्या एक से चार की खातेदारी जमीन खसरा नम्बर 473 आयी हुई है। प्रार्थी की खातेदारी कब्जासुद जमीन के चारो तरफ पुरानी धोरा, पाली व माट कायम की हुई है तथा बबूल के पेड पौधे खड़े है। यह है कि प्रार्थी की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 474 व अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 473 के मध्य पुराने समय से माट कायम है तथा बबूल के पेड़ पौधे खड़े थे, अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की वादग्रस्त आराजी की दक्षिणी माठ को खुर्द बुर्द कर दिया तथा अंग्रेजी बबूल के पेड़ जेसीबी की सहायता से हटा दिये तथा बीच की माठ को अप्रार्थीगण ने अपनी जमीन मे मिला लिया इस पर प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को मना किया व समझाईस की लेकिन अप्रार्थीगण माने नही । प्रार्थी द्वारा अपनी अपनी खातेदारी जमीन का नाप चौक करवाने का कहा लेकिन अप्रार्थी संख्या एक से चार नाप चौक करवाने के लिए सहमत नही हुए इस पर प्रार्थी ने अपनी वादग्रस्त आराजी का नाप चौक कर सीमांकन करवाया जिस पर अप्रार्थी संख्या एक ने फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 04/01/2018 पर हस्ताक्षर भी किये लेकिन इसके पश्चात अप्रार्थीगण मान नही रहे है तथा आये दिन बीच की माठ को खुर्द बुर्द कर रहे है जिसको लेकर प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य कई बार कहासुनी भी हुई। अप्रार्थीगण बहुत ही राजनैतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति है जो प्रार्थी की वादग्रस्त आराजी के दक्षिणी सीमा खुर्द बुर्द कर अपनी

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

जमीन मे मिलाने पर आमादा फिसाद रहते है इसलिए प्रार्थी के खातेदारी हक अधिकारो की सुरक्षा के लिए प्रार्थी अपनी वादग्रस्त आराजी का नाप चौक कर सीमांकन करवा कर पत्थरगड्डी करवाना चाहता है जिसके लिए प्रार्थी पत्थर उपलब्ध करवाने को तैयार है। प्रार्थी अपनी वादग्रस्त आराजी पर शान्तिपूर्ण रूप से काबिज होकर काश्त करते आ रहे है लेकिन अप्रार्थीगण दक्षिणी सीमा खुर्द बुर्द कर रहे है तथा प्रार्थी को तंग परेशान कर रहे है तथा प्रार्थी को दक्षिणी सीमा पर तारबन्दी नही करने दे रहे है जिससे प्रार्थी के खेत मे आवारा पशुओ से भी नुक्सान हो रहा है। प्रार्थी की खातेदारी कब्जासूद वादग्रस्त आराजी का नाप चौक करवाकर सीमांकन करवाकर चारो सीमा/कोना पर पत्थरगड्डी करवायी जाने का आदेश फरमावे। प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र के पेश कर न्यायालय हाजा से ग्राम सिलारी की राजस्व सीमा में स्थित प्रार्थी की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 474 रकबा 0.4207 हेक्टयर भीम का नाप चौक करवाया जाकर चारो कोनो पर पत्थरगड्डी करवायी जाने का आदेश फरमाया जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को समन जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 से 04 की ओर से अधिवक्ता ओमप्रकाश कच्छावाह ने वकालतनामा मय जवाब पेश किया जिसके अनुसार वर्णित खसरा नम्बर 474 वाली भूमि राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी की खातेदारी में इन्द्राज है। जब प्रार्थी का खातेदारी भूमि पर कब्जा है तो पत्थरगढी की आवश्यकता ही नहीं है। प्रार्थी उक्त खसरा नम्बर 473 में अवैध तरीके से पत्थरगढी व मुटाम कायम करवाने की फिराक में है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण की भूमि के बीच में पुरानी माँठ व धोरा कायम था जिस पर पुराने वृक्ष खड़े थे जो पुराने वृक्ष प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के बाले बाले उखाड़ दिये जिस पर अप्रार्थीगण ने पुराने धोरे के स्थान पर लकड़ी के खम्भे खड़े करके तारबन्दी व जाली कर रखी है व बाड कर रखी है। प्रार्थी ने खसरा नम्बर 474 के अन्य पडौसी खातेदार खसरा नम्बर 395 के खातेदार ग्राम पंचायत सिलारी व खसरा नम्बर 475 के खातेदार सार्वजनिक निर्माण विभाग को पक्षकार ही संयोजित नहीं किया है। इस विनाय पर भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज फरमाने योग्य है। प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 474 के चिपते पूर्व पश्चिम व उत्तर में स्थित खसरा नम्बर 395 व 475 के खातेदारों को प्रार्थी ने पक्षकार ही संयोजित नहीं किया है प्रार्थी व अप्रार्थीगण की भूमि के बीच में पुरानी माँठ व धोरा कायम है जिस पर लकड़ी के खम्भे खडे करके तारबन्दी व लोहे की जाली कर रखी है व बाड वगैराह कर रखी है। उक्त प्रार्थन पत्र की आड़ में प्राथी अप्रार्थीगण की भूमि के बीच में स्थित सीमा सीधी है जो पूर्व से पश्चिम में है। जिसको प्रार्थी टेडा मेडा करके अप्रार्थीगण की भूमि में गैर कानूनी तरीके से अवैध कब्जा करने की फिराक में है। प्राथी व अप्रार्थीगण के बीच में स्थित माँठ व धोरा से बबूल के पेड प्रार्थी ने बाले वाले उखाड दिये थे वर्तमान में बबूल के पेड़ खड़े नहीं है अप्रार्थीगण की तारबन्दी व लोहे की जाली कर रखी है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के बाले बाले पुरानी माँठ पर खडे बबूल के पेड़ो को जे.सी. बी मशीन से उखाड़ दिये है एवं प्रार्थी गैर कानूनी तरीके से अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर कब्जा करने की फिराक में है. मौके पर आज भी माँठ व धोरा कायम है। जिसको प्रार्थी खुर्द–बुर्द करने की फिराक में है। अप्रार्थीगण ने न तो बबूल के पेड उखाडे है एवं न ही माँठ को खुर्द–बुर्द किया है। प्रार्थी उक्त पत्थरगढी की आड में अप्रार्थीगण की खातेदारी कब्जासुदा भूमि खसरा नम्बर 473 में काश्त करने में भी बाधा उत्पन्न कर रहा है जबकि प्रार्थी को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। तथाकथित फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 04.01.2018 फर्जी तैयार कर रखी है जिस पर अप्रार्थीगण को धोखे में रखकर नोटिस देने के बहाने हस्ताक्षर करवा रखे है उक्त तथाकथित रिपोर्ट सरासर गलत तैयार की गई है किसी प्रकार का कोई सीमाज्ञान नहीं करवाया था. प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 473 के पश्चिमी सीमा में से मौके पर ग्रेवल सडक चल रही है एवं प्राथर्थी का मौके पर अपनी खातेदारी भूमि से पांच बिस्वा अधिक भूमि पर ज्यादा अतिक्रमण है जो सरकारी भूमि पर कर रखा है। जब प्रार्थी का कब्जा है तो उक्त प्रार्थना पत्र की आड में अप्रार्थीगण की खातेदारी कब्जासुदा भूमि पर अवैध अतिक्रमण करने का एव बीच में स्थित मॉठ को खुर्द–बुर्द करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थी ने भू–अभिलेख निरीक्षक भोजाराम से मिलीभगती करके तथाकथित गलत मौका रिपोर्ट बनवाई है जो सरासर गलत है। उक्त पत्थरगढी की आड़ में अप्राथर्थीगण की भूमि पर प्रार्थी को मुटाम कायम करवाने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है प्राथर्थी ने आज दिन तक बेदखली हेतु कोई वाद पेश नहीं किया है। इसलिए न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थनापत्र मय हर्जा खर्चा के

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

खारिज फरमाया जावें तथा आवश्यक पक्षकार के अभाव में भी प्राथी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज फरमाया जावें।

अप्रार्थी संख्या 05 तहसीलदार पीपाड़ शहर न्यायालय में प्रस्तुत जवाब अनुसार राजस्व ग्राम सिलारी के खसरा संख्या 474 का सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी आदेश किया जाना है तो कोई आपत्ति नहीं है।

हमने विद्वान पक्षकारान् की बहस सुनी गई, प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में निवेदन करते हुए कहा कि ग्राम सिलारी के खसरा नम्बर 474 भूमि का सीमांकन कर पत्थरगढ़ी के आदेश प्रार्थी के पक्ष में किया जाना न्याय संगत है एवं प्रार्थी वकील ने यह भी बताया कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण के कब्जासुद भूमि है जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। वकील अप्रार्थी संख्या 01 से 04 ने प्रस्तुत जवाब के बिन्दुओ को दौहराते हुए प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार है इसलिए वादग्रस्त आराजी का नापचौक सीमांकन करवाकर पत्थरगढ़ी करवाई जाना न्यायसंगत है। अत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत स्वीकार योग्य होने से स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम ग्राम सिलारी के खसरा नम्बर 474 भूमि का टीम गठित कर नापचोक व सीमांकन कर रूबरू पक्षकारान् के सीमा कायम करते हुए पैमाइश करवाकर पत्थरगढी करावे। इस बाबत् नियमानुसार शुल्क प्रार्थीगण राजकीय कोष में जमा करवायेगें।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

निर्णय आज खुले न्यायालय लिखवाया जाकर दिनांक 27/04/2021 को सुनाया गया।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर